संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
पी.एम.टी. 2010 (एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम आवंटन हेतु)
निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविघालयों में शेष रिक्त रही सीटों पर आवंटन प्रकिया की सूचना

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. 2010 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार उम्मीदवारों को प्रदेश के **निजी** चिकित्सा महाविघालयों एवं दंत चिकित्सा महाविघालयों में एमबीबीएस/बीडीएस की शेष रिक्त रही सीटों पर **दिनांक 30.09.2010** को प्रातः **10.00** बजे से **गांधी चिकित्सा महाविघालय, भोपाल** में आवंटन प्रक्रिया का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है । सीटों की संभावित रिक्तियां निम्नानुसार है :–

1– अनूसूचित जाति (ओपन) – एम0बी0बी0एस0कोर्स – 02 सीट (आर0डी0गार्डी चिकि.महा. उज्जैन)
2– अन्य पिछडा वर्ग (ओपन) – एम0बी0बी0एस0कोर्स – 01 सीट (आर0डी0गार्डी चिकि.महा. उज्जैन)
3– अनारक्षित वर्ग (ओपन) – एम0बी0बी0एस0कोर्स – 03 सीट (आर0डी0गार्डी चिकि.महा. उज्जैन)

नोटः–

1– निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में बीडीएस की रिक्त सीटों की संख्या आवंटन स्थल पर उपलब्ध कराई जावेगी ।
2– अन्य निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटे रिक्त उपलब्ध होने पर आवंटन स्थल पर सम्मिलित की जावेगी ।
3– सीटों की संख्या परिवर्तनीय है । सीटों की वास्तविक संख्या संबंधी जानकारी काउंसलिंग स्थल पर ही दी जा सकेगी ।
4– प्रथम/द्वितीय काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त करने वाले ऐसे छात्र जिनके फोटो मिलान नहीं होने के कारण आवंटन आदेश जारी नहीं किये गये थे, वे भी इस काउंसलिंग में उपस्थित होवें । उनका प्रकरण उस दिन निराकृत करने की कार्यवाही की जावेगी ।
5– आप्ट फॉर वेंटिंग, अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है ।

आवंटन प्रकिया कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से

दिनांक	कार्यक्रम	उम्मीदवारों की श्रेणी/संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें में उपस्थित होना है ।
30.09.2010	**स्कूटनी एवं आवंटन**	अनुसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार
		अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क. 01 सभी पात्र

			उम्मीदवार
		अन्य पिछडा वर्ग (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार
		अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार

प्रथम काउंसलिंग में एमबीबीएस /बीडीएस कोर्स आवंटित करवा चुके छात्रों को उसी पाठ्यक्रम में पुर्न आवंटन की पात्रता नहीं होगी परन्तु प्रथम काउंसलिंग में बीडीएस में आवंटन प्राप्त कर प्रवेशित छात्रों को एमबीबीएस कोर्स हेतु पुर्न आवंटन की पात्रता होगी ।

उक्त आयोजित की जा रही काउंसिलिंग के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कॉल लेटर जारी नहीं किये जा रहे है ।

आवेदक को काउंसिलिंग स्थल पर चार पासपोर्ट साईज फोटो जो कि विगत तीन माह से पुराने न हो लाना आवश्यक होगा ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा 2010 के बिन्दु क्र. 12.6 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट के बगैर काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी । पूर्व में प्रवेशित छात्रों को संबंधित महाविघालय में मूल अभिलेख जमा होने का संस्था प्रमुख का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर कांउसलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी ।

उम्मीदवार को काउंसलिंग में स्कूटनी के समय फोटो आई0डी0 प्रूफ (फोटो लगा पहचान पत्र) एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र, जो एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, लाना अनिवार्य है ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग मे उपस्थित होने पर जिनका आवंटन निजी दंत एवं चिकित्सा महाविघालय में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी
के वे उम्मीदवार, जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय रूपये 3.00 लाख से अधिक है, वे रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो ''संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल'' के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा । तदनुपरांत ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा ।

स्कूटनी – उपलब्ध सीटों के अनुपात के आधार परं उम्मीदवारों की स्कूटनी की जावेगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।

फीस – निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविघालयों के लिये फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा किया जाता है । अतः उम्मीदवार को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा संबंधित महाविघालय हेतु निर्धारित फीस प्रवेश के समय जमा कराना होगी, परन्तु आरक्षित वर्ग के छात्रों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित पोस्ट मेट्रिक अथवा अन्य नियमानुसार निर्धारित पात्रतानुसार शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का लाभ प्राप्त हो सकेगा । शेष राशि की व्यवस्था उम्मीदवार द्वारा स्वयं की जायेगी । शुल्क का लाभ प्राप्त करने हेतु छात्र संबंधित

महाविघालय में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत निर्धारित प्रारूप पर संबंधित महाविघालय के माध्यम से अपना आवेदन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगें ।

1— यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।

2— एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

नोटः— (1) भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देश अनुसार दृष्टि एवं बधिर अथवा भुजाएं (Upper Limb)के विकलांग उम्मीदवार एमबीबीएस/बीडीएस के लिये अपात्र होंगें ।

(2) **काउंसलिंग के उक्त प्रोग्राम की जानकारी संचालनालय की बेबसाईट www.mp.gov.in/medicaleducation पर भी उपलब्ध है ।**

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश